5

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वास्तविक लम्बाई: **2.315 किमी0**

स्वीकृत लागत: रू0 129.60लाख

स्वीकृति संदर्भ: 2503/III–(2)/06–37(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 20.9.2006

योजनाः राज्य योजना (2006–07)

जनपद टिहरी गढवाल में किर्तिनगर विकास खण्ड के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण मोटर मार्ग का निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त स्वीकृति के अनुपालन में राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डियालधार से पाडण्व मोटर मार्ग का निर्माण हेतु मार्ग का वास्तविक सर्वेक्षण कार्य करने के उपरान्त मार्ग की वास्तविक ससोधित लम्बाई 2.315 किमी0 आंकी गयी जबकि अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 692/542सी0–8/2008 दिंनाक 26.02.2008 से 6.35 किमी0 लम्बाई हेतू समरेखण स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति सलंग्न है उक्त समरेखण हेतु ग्रामवासीयों ,ग्रामप्रधान की सहमति सलंग्न है। वर्तमान में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तगर्त पाडण्व गॉव के लिए मार्ग प्रस्तावित है जो कि धण्डियाल धार से पाडण्व मार्ग की 2.315 किमी0 लम्बाई में भराखील गावॅ में मिल रहा है अतः राज्य योजना के अन्तगर्त स्वीकृत मोटर मार्ग के लिए नव निर्माण कार्य भी इसी लम्बाई के लिए किया जाना है अतः इसी लम्बाई के अनुरुप पडने वाली विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए यह वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है।

पल्यापटाला एवं पाडण्व ग्रामसभा अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ें है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्ब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

इस मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची

कम संख्या	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या	
			कुल	अनुसूचित जाति
1	पल्यापटाला	00334100	536	0
2	परिपुण्डोली	00334000		2
3	पाडण्व	00334200	122	0

अतः चिन्हित संरेखण उपरोक्त स्वीकृति के सापेक्ष 2.315 किमी लम्बाई हेतु गॉववासीयों की सहमति तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय कोंण से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः2.315 कि0मी0 लम्बाई में मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम भूमि 1.4175 है0, एवं मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 0.063 है0, अर्थात कुल 1.4805 है0 लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियंता	सहायक अभियंता	अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0: कीर्तिनगर	मु0: कीर्तिनगर	मु0: कीर्तिनगर